



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

उ०प्र० सरकार का उपक्रम

पत्रांक— 10225/प्र०नि०/का०प्र०/अ०अ०-1/एएओ०

दिनांक— 09/10/2014

कार्यालय झाप

एतद्वारा निगमहित में प्रशासनिक आधार पर अधोनामित सहायक लेखाधिकारी को स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर अग्रेत्तर तैनाती स्तम्भ सं०-4 में उल्लिखित इकाई/स्थान पर की जाती हैं:-

क्र०सं०	सहायक लेखाधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् आवंटित इकाई
1	2	3	4
1	श्री अरविन्द कुमार	कार्यालय उपमुख्य लेखाधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०, कानपुर।	कार्यालय उपमुख्य लेखाधिकारी, द०वि०वि०नि०लि०, झांसी। (प्रशासनिक आधार)

1. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं० 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.07 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
2. स्थानान्तरित अधिकारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के, स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यमुक्त किया जायेगा।
3. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्ति तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं० 5910/गोपनीय/पाकालि/(06)/2006, दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या पर अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक—10225/प्र०नि०/का०प्र०/तददिनांक 09/10/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर/झांसी।
4. महाप्रबन्धक (वि०ले०सं०) द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
5. अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ ऑफीसर, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. उपमुख्य लेखाधिकारी, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), कानपुर/झांसी।
7. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. उप सचिव (अ०प्र०-03/04) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिकारी।
10. प्रबन्ध निदेशक (कैम्प), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
11. पी०एफ०/कट फाइल।

(डी०आर०एस० सोनी)
अधिशायी अभियन्ता (प्रशासन)